CANCELLED

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

CANCELLED

20 Rs. COURT FEE २० रु. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(131)

अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग
18 JUN 2014
प्रस्तुतकार
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकार रोड 2 R.B.
18 JUN 2014
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

R-2366-II/14

पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2014–15

आवेदक : गजेन्द्र सिंह ठाकुर आत्मज श्री शंकर सिंह ठाकुर उम्र–26 वर्ष, निवासी–पंजाब नेशनल कालोनी रामपुर जबलपुर

विरूद्ध

अनावेदक : 1. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर
2. श्रीमति सुनीता ठाकुर पत्नि स्व. श्री अजीत सिंह उम्र–52 वर्ष, निवासी–वृन्दावन दुबे की गली दीक्षितपुरा जबलपुर

(370)

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. सं. 1959

आवेदक न्यायालय नायब तहसीलदार कंटगी–2 के रा.प्र.कं. 7–अ–6/13–14 गजेन्द्र सिंह विरूद्ध म.प्र. शासन में पारित आदेश दिनांक 19.05.2014 से क्षुब्ध होकर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करता है:–

28.1.16 आवेदक की ओर से [illegible] अधि. और [illegible] अधि. उपर [illegible] आवेदक को memo [illegible] प्रति उपर [illegible] आदेश दिया गया [illegible] आवेदक [illegible] पालन [illegible] प्रकरण [illegible] आदेश [illegible] जाता है

[illegible]
सदस्य

NBana for non-applic no 2 28.1.1

NBana 28.1.1